

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी, वर्तमान जमा (2024-74) के खाता सं. 82, 88, 69, 60, 59, 58, 161, 156, 155 में जागी का नाम संकराम s/o छीतर दर्ज है। जागी पर पटवारी द्वारा जागी के खाते आधार कार्ड, पैन कार्ड, राजग कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में जागी का नाम संकराम s/o छीतर दर्ज है। अतः उपरोक्त खाता सं. में जागी का नाम संकराम s/o छीतर के ध्यान पर अंशम s/o छीतर के नाम जाग उचित होगा।

*Sum 9*  
*पटवारी*

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमान जी, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दुरुस्ती किया जाना उचित होगा।

*महेश्वर*  
*18/12/25*  
*अधीक्षक*

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अंक अभाव है।

*मि. अ.*  
*ग्रामीण सेवा शिविर 2025*  
*तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद*

2025  
825

प्रभारी अधिकारी 'ग्रामीण सेवा शिविर-2025'

दिनांक.....

क्रमांक / 499

दिनांक:- 23/12/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम *खोडा* तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् *2071-74* के खाता संख्या *82, 88, 69, 60, 59, 58, 161, 156, 155* में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	संकराम s/o छीतर शेठ अश्वर	उपरोक्त जागी का मि. के अंशम		1) संकराम s/o छीतर शेठ अश्वर	उपरोक्त जागी का मि. के अंशम	

क्रमांक:- 6553-54

दिनांक:- 23/12/25

प्रतिलिपि:- 1) तहसीलदार नसीराबाद के पालतक  
2) जाड़ेरा प्रशासक

*अधीक्षक*  
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद, जिला अजमेर